संख्या-57/2015/493/71-1-2015-जी-564/2012

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 मार्च, 2015

विषयः- मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में दंत विभाग में सृजित डिमांस्ट्रेटर के पद की निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/निर0/15/522, दिनॉक 12-02-2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-31/1877/71-1-2014-जी-564/2012, दिनॉक 29-10-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में सृजित किये गये डिमांस्ट्रेटर के 01 पद की दिनॉक 01-03-2015 से 29-02-2016 तक की निरन्तरता की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0324-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:57/2015/593(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।